

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(193)नविवि/3/2009पार्ट-II

जयपुर, दिनांक :- 27 MAY 2015

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर।

विषय :- गैस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग व ईट भट्टा की स्थापना हेतु
मानदण्ड।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश दिनांक 21.09.2011, 30.10.2012 एवं 11.02.2015 के द्वारा गैस गोदाम की लोकेशन के संबंध में निर्देश दिये गये है कि समस्त नगरीय क्षेत्रों के मास्टर प्लान में अंकित परिधि नियंत्रण पट्टी में गैस गोदाम अनुज्ञेय होंगे तथा गैस गोदाम के लिए पर्याप्त पहुंच मार्ग, पॉवर ट्रान्समिशन लाईन/टेलीफोन लाईन से दूर होने का उल्लेख किया गया है।

गैस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग व ईट भट्टा की स्थापना हेतु तकनीकी मानदण्ड निर्धारित किये गये है जो पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। अतः आपके विभाग में प्राप्त प्रकरणों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(सी. एस. मूथा)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

स्टोन क्रेशर उद्योग एवं ईट भट्टा व गैस गोदाम की स्थापना हेतु मानदण्ड


क्र.सं.	विवरण	स्टोन क्रेशर उद्योग	ईट भट्टा	गैस गोदाम			
				क्र. सं.	गैस भण्डारण क्षमता	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व. मी.)	सैटबैक (चारो ओर)
1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	1.0 है0 (न्यूनतम 0.5 है0 भूमि प्लान्ट व मशीनरी हेतु प्रस्तावित करना अनिवार्य) @ 600 टन प्रतिदिन अथवा अधिक 0.5 है0 (न्यूनतम 0.25 है0 भूमि प्लान्ट व मशीनरी हेतु प्रस्तावित करना अनिवार्य) @ 600 टन प्रतिदिन से कम।	ईट भट्टा की स्थापना हेतु नियामक /नियन्त्रण संस्था के मापदण्डानुसार	1.	2000 तक	किलो 1000	3 मीटर
				2.	2000 से अधिक तक	1000	4 मीटर
				3.	3000 से अधिक तक	1000	5 मीटर
				4.	4000 से अधिक तक	1000	6 मीटर
				5.	6000 से अधिक तक	1000	7 मीटर
				6.	8000 से अधिक तक	1000	8 मीटर
				7.	10000 से अधिक तक	1200	9 मीटर
				8.	12000 से अधिक तक	1500	12 मीटर
				9.	15000 से अधिक तक	2000	15 मीटर

Sh

		<table border="1"> <tr> <td>तक</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. 20000 अधिक</td> <td>से 2500</td> <td>15 मीटर</td> </tr> </table> <p>स्टोरेज गोदाम की लम्बाई उक्त गोदाम की चौड़ाई के 1.5 गुना से अधिक ना हो एवं प्रत्येक 1000 किलो भण्डारण क्षमता पर 10 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया जा सकता है।</p>	तक			10. 20000 अधिक	से 2500	15 मीटर	<p>आवृद्धित भूमि से न्यूनतम 100 मीटर की परिधि में हाईडेशन विद्युत लाईन/पॉवर ट्रान्स्मिशन लाईन, टेलीफोन लाईन तथा पेट्रोल पम्प नहीं हो तथा आवृद्धित भूमि का मारटर प्लान के अनुसार भू-उपयोग औद्योगिक, भण्डारण एवं गोदाम अथवा परिधि नियंत्रण पट्टी, ग्रामीण क्षेत्र निर्धारित हो।</p>
तक									
10. 20000 अधिक	से 2500	15 मीटर							
<p>2. स्थापना हेतु सुरक्षित दूरी</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. आबादी क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर (Aerial distance) की परिधि में संबंधित नगरीय क्षेत्र के मारटर प्लान में दर्शाये गये परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय। 2. राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग से भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 100 मीटर की दूरी (Aerial) पर एवं अन्य सड़को पर भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 50 मीटर की दूरी (Aerial) पर अवस्थित हो। 3. राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य से भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 500 मीटर की दूरी (Aerial) पर एवं आरक्षित वन/प्रतिबंधित वन भूमि से भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 100 मीटर की दूरी (Aerial) पर अवस्थित हो। 4. प्रमुख सार्वजनिक संवेदनशील क्षेत्रों/धार्मिक महत्व के प्रमुख स्थलों/विद्यालय/विकिन्सालय /सार्वजनिक उद्यान/अधिसूचित पुरातत्वीय स्मारको से भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 500 मीटर की दूरी (Aerial) पर अवस्थित हो। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. आबादी क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर (Aerial distance) की परिधि में संबंधित नगरीय क्षेत्र के मारटर प्लान में दर्शाये गये परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय। 2. राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग से भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 100 मीटर की दूरी (Aerial) पर एवं अन्य सड़को पर भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 50 मीटर की दूरी (Aerial) पर अवस्थित हो। 3. राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य से भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 500 मीटर की दूरी (Aerial) पर एवं आरक्षित वन/प्रतिबंधित वन भूमि से भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 100 मीटर की दूरी (Aerial) पर अवस्थित हो। 4. प्रमुख सार्वजनिक संवेदनशील क्षेत्रों/धार्मिक महत्व के प्रमुख स्थलों/विद्यालय/विकिन्सालय /सार्वजनिक उद्यान/अधिसूचित पुरातत्वीय स्मारको से भूमि की सीमा का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 500 मीटर की दूरी (Aerial) पर अवस्थित हो। 							

AS

		5. निचले क्षेत्र में स्थित जलाशय से भूमि का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 1500 मीटर की दूरी (Aerial) पर अवस्थित हो।	5. निचले क्षेत्र में स्थित जलाशय से भूमि का निकटस्थ बिन्दु न्यूनतम 1500 मीटर की दूरी (Aerial) पर अवस्थित हो।	
3.	भाण्डारण हेतु निर्मित स्टोरेज एवं निकट स्थित किसी अन्य भवन, सार्वजनिक स्थल के बीच न्यूनतम तथा पहुंच मार्ग की चौड़ाई।	भूखण्ड न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होना आवश्यक है।	भूखण्ड न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होना आवश्यक है।	निकट स्थित किसी अन्य भवन, सार्वजनिक स्थल आवेदित भूखण्ड के लगते हुए स्थित भवन के बीच न्यूनतम दूरी 100 मीटर अनिवार्य है। भूखण्ड न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होना आवश्यक है।
4.	लॉडिंग व अनलॉडिंग क्षेत्र हेतु मापदण्ड	-	-	स्टोरेज गोदाम में प्रस्तावित/स्वीकृत अग्र सैटबैक के अतिरिक्त मुख्य सड़क से लगते हुए 9 मीटर गहराई की भू-पट्टी लॉडिंग व अनलॉडिंग क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की जानी होगी।


 (सी. एस. भूषा)
 संयुक्त शासन सचिव-प्रथम